政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国

(略称)インドとの租税(所得)条約改正議定書

末立	第五条	第四条	第三条	第二条	第一条	前文·	目							
文	効力発生、適用対象及び有効期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	条約第二十三条3ⓒの削除	条約第十二条2の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	条約第十一条2の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	条約第十条2の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		次	平成 十八年 六月二十八日		平成 十八年 六月 二日	平成 十八年 五月二十九日	平成 十八年 五月二十三日	平成 十八年 五月 十一日	平成 十八年 二月二十四日
三三五	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						ページ	効力発生	(条約第六号及び外務省告示第二九九号)	公布及び告示	ニューデリーで承認を通知する外交上の公文の交換	承認の閣議決定	国会承認	東京で署名

日本国政府及びインド共和国政府は

の間の条約を改正する議定書

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府と

の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(以下「条約」という。)を改正することを希 千九百八十九年三月七日にニューデリーで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税

次のとおり協定した。 第一条

条約第十条2を次のように改める。

2 には、当該配当の額の十パーセントを超えないものとする。 従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者である場合 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に

V この2の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすものではな

第二条

条約第十一条2を次のように改める。

2 ことができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場合には、当該利子の額 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課する

の十パーセントを超えないものとする。

PROTOCOL AMENDING
THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Japan and the Government of the Republic of India,

Desiring to amend the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at New Delhi on 7th March, 1989 (hereinafter Taxes of 1989) referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the the dividends. However, such dividends may also be taxed in the

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid."

ARTICLE ㅂ

Paragraph 2 of Article 11 of the Convention shall deleted and replaced by the following: эd

gross amount of the interest." tax so charged shall not exceed 10 per cent of the recipient is the beneficial owner of the interest the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the However, such interest may also be taxed in the

第三条

インドとの租税(所得)条約改正議定書

条約第十二条2を次のように改める。

2 料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技 国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する 術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約

第四条

条約第二十三条3億を削る。

(c)十条 の三約 削条第 除3二

第五条

は、 この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書 その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この議定書は、次のものについて適用する。

期及適効 間び用力 有対発 効象生、

日本国においては

(a)

(i) 源泉徴収される租税に関しては、

図 この議定書がある年の六月三十日以前に効力を生ずる場合には、その年の七月一日以後に租税を 課される額

(H) 税を課される額 この議定書がある年の七月一日以後に効力を生ずる場合には、その年の翌年の一月一日以後に租

(ii) 後に開始する各課税年度の所得 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以

ARTICLE III

三四四

Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services." However, such royalties and fees for technical

ARTICLE ٧I

Sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 Convention shall be deleted. ٥£

ARTICLE V

- 1. This Protocol shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.
- This Protocol shall be applicable:

2.

(a) in Japan:

- (L) with respect to taxes withheld at source:
- (aa) for amounts taxable on or after 1st July of the calendar year in which the Protocol enters into force, if the Protocol enters into force before 1st July of a calendar year; or
- (dd) Protocol enters into force, if the Protocol enters into force after 30th for amounts taxable on or after 1st June of a calendar year; and following the year in which the January of the calendar year next
- (11) with respect to taxes on income which are for any taxable year beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters not withheld at source, as regards income

(i) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に支払われ、(b) インドにおいては、

又は貸記される額

⑪ この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税

3 この議定書は、条約が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。 二千六年二月二十四日に東京で、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本書二通を作

日本国政府のために

インド共和国政府のために

マニ・トリパティ

麻生太郎

(b) in India:

- (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
- (ii) with respect to taxes on income for any previous year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Tokyo on this twenty-fourth day of February, 2006 in the Japanese, Hindi and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government of Japan: For

n: For the Government of the Republic of India:

麻生太郎

Mani Tripathi

जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवेचन की रोक्षधाभ के शिए जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हरताधारित अभिसमय को संशोधित करने के इरादें से हैं (इसके बाद "उक्त अभिसमय" के रूप में संवर्धित), में निन्नीलेखित बातो पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

को प्रतिस्थापित किया जाएगा : अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्निलिखत

अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश को संदत्त करने वाली कंपनी एक निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितग्राही स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल कराधान को प्रभावित नहीं करेंगे जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं । धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । इस पैराग्राफ के उपबंध उन लाभों के संबंध में कंपनी के "2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के

अनुच्छेद II

अभितमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 को विलोधित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्निलिखत को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उद्भूत होता है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ऐसे ब्याज का हितप्राही स्वामी हैं, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं "2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के

अनुच्छेद III

अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्निलिखत को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

से अधिक नहीं होगा।" और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा राकेगा, लेकिन जिनमें ये उद्भूत इस प्रकार प्रभावित कर रायोल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुत्कों की राकल धनराशि के 10% होते हैं किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रॉयिन्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का हितप्राही खामी है तो तथापि, ऐसी रॉयिल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों पर उस संविदाकारी राज्य में भी

अनुच्छेद IV

अभिसमय के अनुच्छेद 23 के पैराम्राफ 3 के उप पैराम्राफ (ग) को विलोपित किया जाएगा ।

अनुच्छेद V

- जाएगा और ऐसे अनुमोदन को दशनि वाली राजनियक टिप्पणियों के आदान-प्रदान की तारीख के उपरांत तीसवें दिन को प्रवृत्त होगा। यह प्रोतोकोल प्रत्येक संविदाकारी राज्य की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया
- 2 यह प्रोतोकोल लागू होगा :
- (क) जापान में : (i) स्रोत स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में :

के पूर्व प्रवृत्त हुआ हो; (क क) उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें उत्त प्रोतोकोल प्रवृत्त हुआ है, की प्रथम जुलाई को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि प्रोतोकोल किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई

अथवा

केलेण्डर वर्ष के 30 जून के उपरान्त प्रवृत्त होता है; और प्रथम जनवरी को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि उक्त प्रोतोकोल किसी (ख ख) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोतोकोल प्रवृत्त होता है, की

आय पर कर जो स्रोत पर नहीं रोका गया हो, के सम्बन्ध में, उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोतोकोल प्रवृत्त हुआ हो, की प्रथम जनवरी

को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष की आय के सम्बन्ध में; और

(ख) भारत में : (i)स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में, उस कैलेन्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोतोकोल प्रवृत्त हो, के प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद संदत्त अथवा क्रेडिट की गई धनराशि के सम्बन्ध में,

(ii) उस कैलेन्डर वर्ष के आले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोतोकोल प्रवृत्त हुआ हो, के प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में।

ယ यह प्रोतोकोल अभिसमय के प्रवृत्त रहने तक प्रभावी रहेगा ।

हस्ताक्षरित किया गया है। उनकी सम्बद्ध सरकारों द्वारा उनके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी के साक्ष्य में यह प्रोतोकोत

यह **तोक्यों** में आज दिनांक **फरवरी 24 2006** को जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है, इनमें से प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । व्याख्याओं में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

जापान सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

麻生太郎

मणि त्रिपाठी

を一部改正するものである。 この議定書は、平成元年に発効したインドとの租税(所得)条約(平成元年二国間条約集参照)(参考)